न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 09 / 2019

अपीलांट्स–	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स–
रामाराम पुत्र श्री जुगताराम जाति माली निवासी बलदेव नगर बाड़मेर		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर 2. श्रीमति दलू देवी पत्नी पूनमाराम, 3. जोगेन्द्रसिंह पुत्र पूनमाराम 4. बाबूलाल पुत्र पूनमाराम 5. रामेश्वर पुत्र पूनमाराम जाति जाट निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 1389 जो दिनांक 31.03.2010 को तहसीलदार बाड़मेर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेश छाजेड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित
3. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2 से 5 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 03 / 07 / 2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह राजस्व अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बाड़मेर द्वारा नामान्तरकरण सं. 1389 स्वीकृति आदेश दिनांक 31.03.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय मे पेश की गई है।
2. अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 के पति–पिता श्री पूनमाराम द्वारा मौजा बाड़मेर मगरा के खसरा नम्बर 3098 / 343 रकबा 05–00 बीघा मे से 2–00 बीघा भूमि संयुक्त रूप से क्रय कर बेचान दस्तावेज दिनांक 02.03.2010 को पंजिबद्ध करवा दिया। इस बेचान दस्तावेज के आधार पर हल्का पटवारी बाड़मेर आगोर द्वारा नामान्तरकरण सं. 1389 अपीलांट अकेले के नाम दायर कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 31.03.2010 को स्वीकृत कर दिया। इससे व्यथित होकर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम, के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. अपीलांट्स की अपील को मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार बाड़मेर से अपीलाधीन अभिलेख प्राप्त कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों को सुना। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपील मीमो के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि पंजिवद्ध विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की गई भूमि का सहवन से नामान्तरकरण एक व्यक्ति के नाम दायर कर दिया गया। अपीलांट स्वंय अपने हिस्सेदार का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवाना चाहता है। अपीलकर्तागण के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व पक्षकारान को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं न ही जांच एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण एकपक्षीय सम्पन्न कर आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। जिस भी अपीलकर्तागण को यथा समय जानकारी नहीं होने से यह अपील देरी से पेश की गयी है जो जानकारी होने की तिथि से अन्दर मयाद शुमार कर स्वीकार की जावें।

5. रेस्पोडेंट्स संख्या 2 से 5 की ओर से अधिवक्ता द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्व0 पूनमाराम द्वारा अपीलांट के साथ संयुक्त रूप से 2–00 वीघा भूमि क्रय की गई थी जिसका नामान्तरकरण सं. 1389 दायर करते समय हल्का पटवारी द्वारा भूलवश अपीलांट अकेले के ही नाम अंकित कर दिया । इस त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण के विरूद्ध स्वंय क्रेता खातेदार अपीलांट ने यह अपील सद्भावना रखते हुए प्रस्तुत की है जो स्वीकार कर रेस्पो0 सं. 2 से 5 का नाम अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। मौजा बाड़मेर मगरा के खसरा नम्बर 3098/343 रकबा 5–00 वीघा में से 2–00 बीघा भूमि का बेचान खातेदार श्रीमति नैनू देवी पत्नी श्री जोगाराम जाति जाट निवासी राम नगर बाड़मेर आगोर द्वारा क्रेतागण रामाराम पुत्र जुगताराम जाति माली निवासी बलदेव नगर बाड़मेर एवं पूनमाराम पुत्र दमाराम जाति जाट निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

के पक्ष मे निष्पादित कर दिनांक 02.03.2010 को विक्रय पत्र पंजिबद्ध करवाया गया है। इस पंजिबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर दोनो क्रेतागण के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज जरिये नामान्तरकरण किया जाना चाहिए था किन्तु हल्का पटवारी बाड़मेर आगोर द्वारा भूलवश अकेले अपीलांट के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण दायर कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा भी रेकर्ड की बिना जांच आदेश दिनांक 31.03.2010 के द्वारा स्वीकृत कर दिया है। इस पर यह त्रुटि अभिलेखीय तौर पर परिलक्षित होने वाली है जिसके संदर्भ मे अन्यथा कोई खातेदारी अधिकारों के विनिश्चय अथवा हिस्सों को लेकर कोई विवाद वर्तमान होना प्रकट नही होता है। वर्तमान मे राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट अकेले का नाम दर्ज है जिसने स्वंय ही आगे आकर अपने संयुक्त क्रेता के वारीशान का नाम दर्ज करने का निवेदन किया है, जो विधिसम्मत प्रतीत होता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति के समय अपीलांट अथवा अन्य पक्षकारान को नोटिस एवं सुनवाई किये जाने का कोई तथ्य रेकर्ड पर नही है, इससे अपीलांट को यथा समय इस दूषित नामान्तरकरण की जानकारी नही होने बाबत अपीलांट का तथ्य सद्भाविक प्रतीत होता हैं। इस प्रकार रेकर्ड के अवलोकन से अपीलाधीन नामान्तरकरण स. 1389 अपीलांट के क्रय दस्तावेज के इन्द्राज के लिए त्रुटिपूर्ण होना प्रतीत होता है जिसे इस भाग तक बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 1389 मे अपीलांट के क्रय दस्तावेज दिनांक 02.03.2010 के नामान्तरकरण के भाग को खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 2 से 5 के पूर्व पुरूष स्व0 पूनमाराम द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्तरकरण नये सिरे से बाद जांच एवं सुनवाई नियमानुसार नये सिरे से निस्तारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 03.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner